

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 267]

नवा रायपुर, बुधवार, दिनांक 27 मई 2026 — ज्येष्ठ 6, शक 1948

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25 मई 2026

अधिसूचना

क्रमांक GENCOR/10352/2026-WCD.— दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961 (क्र. 28 सन् 1961) की धारा 8(ख) की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा नीचे दी गई अनुसूची के कालम (2) में उल्लेखित अधिकारी को दहेज प्रतिषेध अधिकारी के रूप में नियुक्त करता है और उसके सम्मुख कालम (3) में उल्लेखित क्षेत्र को विनिर्दिष्ट करता है, जो उक्त अधिनियम के अधीन वह अपनी अधिकारिता तथा शक्तियों का प्रयोग करेगा।

अनुसूची

क्र.	अधिकारियों का पदनाम	अधिकारिता क्षेत्र
1	2	3
1	जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला — मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी	मोहला-मानपुर-अम्बागढ़ चौकी जिले में समाविष्ट क्षेत्र
2	जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला — गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही	गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही जिले में समाविष्ट क्षेत्र
3	जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला — मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर	मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी-भरतपुर जिले में समाविष्ट क्षेत्र
4	जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला — खैरागढ़-छुईखदान-गंडई	खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले में समाविष्ट क्षेत्र
5	जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला — सारंगढ़-बिलाईगढ़	सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले में समाविष्ट क्षेत्र
6	जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी, जिला — सक्ती	सक्ती जिले में समाविष्ट क्षेत्र

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणुका श्रीवास्तव , उप-सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 25th May 2026

NOTIFICATION

No. GENCOR/10352/2026-WCD.— In exercise of the powers conferred under Sub- section (1) of section 8-B of the Dowry Prohibition Act 1961, (No. 28 of 1961), the State Government hereby appoints the officers mentioned in the column (2) of the schedule below as dowry prohibition officer and specify the area mentioned in the corresponding entry in column (3) thereof in respect of which he shall exercise his jurisdiction and powers under the said Act.

SCHEDULE

S.No.	Designation of the officers officiating as protection officers	Area of Jurisdiction
1	2	3
1	District Program Officer/District Women & Child Development Officer, Mohla-Manpur-Ambagr Chowki	Area Covered Under the Revenue District of Mohla-Manpur-Ambagr Chowki
2	District Program Officer/District Women & Child Development Officer, Gorela-Pendra-Marwahi	Area Covered Under the Revenue District of Gorela-Pendra-Marwahi
3	District Program Officer/District Women & Child Development Officer, Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur	Area Covered Under the Revenue District of Manendragarh-Chirmiri-Bharatpur
4	District Program Officer/District Women & Child Development Officer, Khairagarh-Chuikhadan-Gandai	Area Covered Under the Revenue District of Khairagarh-Chuikhadan-Gandai
5	District Program Officer/District Women & Child Development Officer, Sarangarh-Bilaigarh	Area Covered Under the Revenue District of Sarangarh-Bilaigarh
6	District Program Officer/District Women & Child Development Officer, Sakti	Area Covered Under the Revenue District of Sakti

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RENUKA SHRIVASTAVA, Deputy Secretary.